

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट छीपावड़ौद जिला बारां

हस्त लिखी

वाद संख्या	98/17	घाग अंतगत	53,188	निर्णय दिनांक	23/5/17
समक्ष - श्री श्रीरामलाल वर्मा का. ए. एन. उपखण्ड अधिकारी	छीपावड़ौद				
उपस्थिति - अभिभाषक वादी	अभिभाषक प्रतिवादी				

वाद शीपक

जमनालाल पुत्र किशनलाल जाड़े माली ठिकारी गोविन्दपुर
 नं० छीपावड़ौद
 बनाम

1. देवप्रसाद पुत्र देवप्रसाद किशनलाल
2. देवप्रसाद पुत्र किशनलाल जाड़े माली ठिकारी गोविन्दपुर छीपावड़ौद
3. श्रीरामलाल पुत्र श्रीकिशन जाड़े माली ठिकारी धामरिया, हाल पु. गोविन्दपुर
4. लोकेश पुत्र लक्ष्मणरायण जाड़े माली ठिकारी गमूनाग बाले नं० छीपावड़ौद
5. राज लाल वर्मा नं० 15/118 छीपावड़ौद

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुसृत डिक्री निर्गत की जाती है कि

जुद्ध दिनांक 22/5/17 के कारण का पक्षकारों के मध्य उपर-उपर विभाजन किण्व जका किण्व जाल है -
 नाम खाते डाल

- | नाम खाते डाल | रकम | रकम | लगाव |
|---|---------|------|------|
| 1- जमनालाल पुत्र किशनलाल जाड़े माली
सा. 98/17 नं० 5385 शां. छीपावड़ौद | 318/142 | 3.07 | 5.02 |
| 2- देवप्रसाद पुत्र किशनलाल है 29/118, श्रीरामलाल पुत्र
श्रीकिशन है 11/59 जाड़े माली ठिकारी धामरिया, हाल पु.
पुत्र किशनलाल है 26/59 कोठ माली सा. 98/17, मकान
कुकाट हा श्रीरामलाल है 15/118 कोठ मकान सा. छीपा- | 318/142 | 5.18 | 8.86 |

उपरोक्त डिक्री विभाजन कारण का पक्षकारों के मध्य
 उपर-उपर विभाजन किण्व जका रिकार्ड में मालु इराग ड
 कले है वरमा लाल छीपावड़ौद को कादेशित किया जाल है।

साथ ही नियमानुसार... रु० का व्यायानुत्तौष... द्वारा... को प्रदान किया जाए
 उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 22/5/17 को निर्गत किया गया।

उपजिला कलक्टर
 छीपावड़ौद, जिला बारां (राज.)

व्यायानुत्तौष			
क्र.सं.	व्ययमद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारीश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य मांग पूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		